बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा जलापूर्ति योजनाओं की अनुरक्षण नीति

(क) विभागीय अनुरक्षण नीति : विकसित बिहार के सात निश्चय अन्तर्गत हर घर नल का जल निश्चय (सुशासन के कार्यक्रम 2015–20) के पूर्व जलापूर्ति योजना का अनुरक्षण पूर्णतः विभागीय स्तर पर की जाती थी। पम्प, पम्पगृह एवं जलापूर्ति संरचना का संचालन एवं रख–रखाव विभाग में कार्यरत नियमित/कार्य भारित ;वता बींतहमद्ध कर्मी, कार्यरत पम्प ऑपरेटर, खलासी, की–मैन–कम चौकीदार के माध्यम से जलापूर्ति योजनाओं का संचालन, रख–रखाव का कार्य किया जाता है। जलापूर्ति योजना अन्तर्गत वितरण प्रणाली का रख–रखाव भी विभागीय स्तर पर पलंबर मिस्त्री/खलासी के माध्यम से कराया जाता है एवं विद्युत विपत्र का भुगतान यांत्रिक प्रभाग द्वारा किया जाता है। वर्तमान में सरकारी परिसरों, महत्वपूर्ण संस्थानों एवं कतिपय शहरी जलापूर्ति योजना का संचालन एवं रख–रखाव किया जा रहा है।

(ख) (i) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा अधिष्ठापित जलापूर्ति योजनाओं के संचालन एवं रख–रखाव एवं अनुरक्षण हेतु समेकित, विस्तृत दीर्घकालीन रख रखाव एवं अनुरक्षण नीति 2021 संकल्प संख्या–543, दिनांक 28.6.2021– विकसित बिहार के सात निश्चय अन्तर्गत हर घर नल का जल निश्चय (सुशासन के कार्यक्रम 2015–20) के तहत सभी परिवारों को पाइप जलापूर्ति योजना अधिष्ठापित करते हुए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया गया है। सामाजिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की पाइप जलापूर्ति योजना यथा बहुग्रामीय जलापूर्ति योजना, एकल ग्रामीण जलापूर्ति येाजना, पाइप जलापूर्ति योजना, वार्ड स्तरीय शुद्धीकरण संयुक्त जलापूर्ति योजना, वार्ड स्तरीय जलापूर्ति योजना और मिनी जलापूर्ति योजना तैयार की गई है। इस कार्यक्रम के तहत जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण का कार्य एवं 5 वर्षो रख–रखाव समेकित रूप से परियोजना के प्रावधान हैं एवं लोक निर्माण संहिता में विहित प्रावधानों के अनुरूप चयनित संवेदक/एजेंसी के द्वारा संबंधित जलापूर्ति येाजना के निर्माण के उपरान्त 3/6 माह के ज्तंपस तनद के बाद योजना का आगामी 5 वर्षो तक संचालन रख–रखाव एवं अनुरक्षण का कार्य सुनिशिचित किया गया। इस अवधि में संवेदक/एजेंसी का यह सुनिश्चित करना है कि जलापूर्ति योजनाओं की अभियंत्रिक संरचनाएं एवं मशीन/उपकरण आदि निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप कार्य करे और निर्धारित कार्य विधि के अनुरूप हो। योजना के संचालन, रख–रखाव एवं अनुरक्षण हेतु आवश्यक कार्य बल, पम्प ऑपरेटर, मरम्मति दल, पर्यवेक्षणतंत्र सहित एवं सामग्री संवेदक द्वारा रखी जानी है। संबंधित संवेदक के द्वारा ही विद्युत विपत्र का भुगतान किया जाना है।

(ख) (II) दीर्घकालिन अनुरक्षण नीति–पेयजलापूर्ति योजना यथा, MVS, SVS, PWS एवं WLS योजनाओं जिनमें कार्यरत संवेदक द्वारा 5 वर्षो का रख–रखाव समाप्त हो चुका है उन योजनाओं का अगले 5 वर्षो के लिए संचालन, रख–रखाव एवं अनुरक्षण हेतु लोक निर्माण संहिता में निहित प्रावधानों के अनुरूप चयनित संवेदक/एजेंसी के द्वारा कराया जाना है। चयनित संवेदक को सर्वप्रथम योजना का हस्तांतरण Design एंव built के आधार पर कराया जायेगा। योजना का आगामी 5 वर्षो तक संचालन, रख–रखाव एवं अनुरक्षण का कार्य संवेदक के द्वारा सुनिश्चित किया जाना है। इस अवधि में संवेदक/एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि जलापूर्ति योजनाओं की अभियंत्रिक संरचनायें एवं

उपकरण निर्धारित मापदण्ड के रूप में कार्य करे। योजना का संचालन, रख–रखाव एवं अनुरक्षण हेतु आवश्यक कार्यबल, पम्प ऑपरेटर, मरम्मति दल एवं सामग्री संवेदक द्वारा रखी जानी है। संबंधित संवेदक द्वारा ही विद्युत विपत्र का भुगतान किया जाना है।

(ग) पंचायती राज विभाग से हस्तांतरित योजनाओं के रख–रखाव, संचालन, मरम्मति एवं सम्पोषण हेतु अनुरक्षण नीति संकल्प संख्या–1676, दिनांक 12.08.2024–पंचायती राज विभाग के द्वारा 28 जिलों के कुल 58003 ग्रामीण वार्डो में 70157 जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण ग्राम पंचायतों की वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति ;प्डब्द्ध के द्वारा कराया गया है। इन योजनाओं का संचालन, मरम्मति एवं सम्पोषण हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को योजनाओं का हस्तांतरण किया गया। जलापूर्ति योजनाओं में मरम्मति कार्य संबंधित कार्यपालक अभियंताओं द्वारा Item Rate Contact के माध्यम से चयनित संवेदकों से कराया जा रहा है। संवेदक द्वारा योजनाओं का संचालन एवं रख–रखाव हेतु आवश्यक कार्यबल एवं सामग्री रखी जानी है। जलापूर्ति योजनाओं के मरम्मति में लगने वाले सामग्रियों को रखने हेतु स्थल की व्यवस्था संवेदक/एजेंसी के द्वारा किया जाना है यह स्थल संवेदक/एजेंसी के कंट्रोल रूम की तरह काम करेगा। इस कंट्रोल रूम में आवश्यक प्रशिक्षित कार्यबल सभी व्यवस्थाओं के साथ संवेदक/एजेंसी के द्वारा किया जायेगा। जलापूर्ति योजनाओं के अनुरक्षक के रूप में हस्तांतरण के समय कार्यरत अनुरक्षक को यथा संभव बनाये रखा गया है। कार्यरत अनुरक्षक को मानदेय के रूप में पंचायती राज विभाग द्वारा 15वें वित्त आयोग के पंचायत हेतु प्रदत अनुदान से प्रति योजना प्रतिमाह रू0 2000 की दर से भुगतान WIMC के माध्यम से किया जाना है। मासिक उपभोक्ता प्रभार (रू0 30 प्रतिमाह प्रति परिवार) की बसूली अनुरक्षक के द्वारा की जानी है जिसका 50: राशि अनुरक्षक को प्रोत्साहन राशि के रूप में भुगतान होगा। शेष 50% राशि WIMC के खाते में जमा कराया जायेगा। वार्ड स्तरीय जलापूर्ति योजनाओं का प्रति येाजना विद्युत प्रभार प्रतिमाह औसतन रू0 2500 से विद्युत शुल्क का भुगतान पंचायत से सीधे किया जाना है।

(घ) शिकायत निवारण प्रणाली– लोक शिकायतों के लिए केन्द्रीयकृत शिकायत निवारण प्रणाली (CGRC) कॉल एवं SMS आधारित पद्धति, WhatsApp एवं website बनायी गयी एवं शिकायत प्राप्त कर शिकायतों का निवारण किया जाता है। लोक शिकायत निवारण हेतु संवेदक द्वारा निर्मित नियंत्रण कक्ष में एक Key Personal की तैनाती की जानी है, जो प्रतिदिन पम्प ऑपरेटर, मरम्मति दल, मरम्मति हेतु आवश्यक सामग्री की उपलब्धता की मोनिटरिंग करने एवं इस व्यवस्था की सूचना MIS एवं कार्यपालक अभियंता, जिला नियंत्रण कक्ष, CGRC, Toll Free no, SMS, Mobile App, WhatsApp आदि उपलब्ध कराया जाना है।

(ड़) विद्युत विपत्र/विद्युत प्रबंधन एवं WQMIS –विद्युत विपत्र/विद्युत प्रबंधन एवं WQIMS के लिए सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक प्रमंडल, नोडल ऑफिसर होगें। विद्युत संबंधी एवं जल गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं का निराकरण कार्यपालक अभियंता, विद्युत विभाग एवं कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल से समन्वय स्थापित कर करेंगे। इसकी प्रति संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल के साथ–साथ मुख्य अभियंता (मोनिटरिंग) को देगें एवं इसका अनुश्रवण मुख्य अभियंता (मोनिटरिंग) द्वारा की जायेगी।